



मथुरा पुलिस



प्रेस नोट- थाना नौहड़लील जनपद मथुरा ।

OPERATION CONVICTION

दिनांक- 27.01.2026.

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० द्वारा प्रदेश भर में चलाये जा रहे अभियान " ऑपरेशन कन्विक्शन " के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा निरन्तर समीक्षा एवं मार्ग दर्शन दिया जा रहा था । मथुरा पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना नौहड़लील जनपद मथुरा पर पंजीकृत मु०अ०सं० 119/2017 धारा 376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में आज दिनांक 27.01.2026 को माननीय न्यायालय स्पेशल पोक्सो एक्ट-मथुरा द्वारा इस प्रकरण में विचारण करते हुए साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त राहुल पुत्र लालराम निवासी सांवला नगला थाना मलपुरा ,जिला आगरा को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



श्रीमती अलका शर्मा
विशेष लोक अभियोजक
स्पेशल न्यायालय पोक्सो मथुरा



निरीक्षक
संजय कुमार शुक्ला
(विवेचक)



है०का० 1744
वीनेश कुमार
पैरोकार थाना नौहड़लील